CONTENTISE

विषय-सूची

Bahujan discourse puts JNU in the crosshairs बहुजन विमर्श के कारण निशाने पर है जेएनयू

PAGE 51



Research perspective: Backward classes पिछडी जातियां और शोध दृष्टि

PAGE 37

Culture and social justice संस्कृति और सामाजिक न्याय



PAGE 43 SLICE THE OBC QUOTA ओबीसी आरक्षण को विभाजित करो

PAGE 46



Siddaramaiah: The true Lohiaite सिद्धरामैया सच्चे लोहियावादी

PAGE 60

The pandit and the fixer पंडित और फिक्सर

PAGE 8

SUBALTERN MAGAZINE RELEASED 'सबाल्टर्न' पत्रिका का विमोचन

DAGE

Up in arms for quota आरक्षण के लिए लामबंद



PAGE 57

Media, capital and advertisement मीडिया, पूंजी और विज्ञापन

PAGE 24

UPROAR IN PARLIAMENT OVER MAHISHASUR महिषासुर के मुद्दे पर संसद में हंगामा

PAGE 33

Historic challenge to the counter-revolution प्रतिक्रांति को मिल रही है ऐतिहासिक चुनौती

PAGE 49

Lohia's anti-caste feminism लोहिया का जाति-विरोधी स्त्रीवाद





aribhau Rathod is one of the few leaders of Maharashtra who have been fighting for the rights of the Denotified and Nomadic tribes. These days, he is trying to forge a joint front of Denotified and Nomadic Tribes and EBCs. Associated with the Congress, Rathod has been an MP. Presently, he is a member of the Maharashtra Legislative Council. S. Rale spoke with him. Excerpts:

You are questioning the reservation for OBCs. What is your logic?

The OBCs have been given 27 per cent reservation on the basis of the recommendations of the Mandal Commission. The Denotified and Nomadic tribes. Barabalutedar and other EBCs are included in the central OBC list. It is now been 22 years since the implementation of the Mandal report, but these castes haven't benefited from it at all. No one from these castes has been appointed to a position in the IAS or the IPS, or in the nationalized banks, railways, post offices and other central government offices. Therefore, like the Maharashtra and Andhra Pradesh OBC lists, the central OBC list also needs to be divided. A new sub-category of EBCs comprising castes such as Nai, Khati, Wadde, Luhar, Sutar, Kumhar, Dhobhi, Ramoshi, Gurav, Tamboli, Kasar, Bhat, Kalwar, Kahar, Tanti, Sudi, Patwa, Beldar, Bind, Dhamin, Dhobi(Muslim), Dhuniya, Jeengar, Sangar, Burud, Shimpi, Gowari, Davri-Gowari, Koshti, Bunkar, Beldar, Kumawat, Bhoi, Kevat, Koli, Gadaria, Teli, Dhangar, etc should be created. We will launch a nationwide agitation for this.

रीभाऊ राठोड महाराष्ट्र के उन प्रमुख नेताओं में शुमार हैं, जो विमक्त व घमंत जनजातियों की लड़ाई लम्बे समय से लड़ते चले आ रहे हैं। इन दिनों वे विमुक्त व घुमंतू जनजातियों तथा अति पिछडे वर्ग का सांझा मोर्चा बनाने के लिए प्रयासरत हैं। रातोड कांग्रेस से संबद्ध हैं तथा पूर्व में सांसद भी रहे हैं। इन दिनों वे महाराष्ट्र विधानपरिषद के सदस्य हैं। प्रस्तत हैं ग्र. राळे से उनकी बातचीत के सम्पादित अंशः

अन्य पिछडे वर्गों को प्रदत्त आरक्षण पर आप सवाल उठा रहे हैं। इसका क्या औचित्य है?

मंडल आयोग के सिफारिशों के अनुसार, अन्य पिछड़े वर्गों को केंद्र सरकार ने 27 प्रतिशत आरक्षण दिया है। केंद्र सरकार की पिछडे वर्गों की सुची में विमक्त-धुमंत, बाराबलतेदार और अन्य अत्यंत पिछडी जातियां सम्मिलित हैं। मंडल आयोग की सिफारिशें लाग हुए 22 बरस गुजर गए हैं। इस अवधि में इन विमुक्त-धुमंत् तथा बाराबल्तेदार जातियों को इस आरक्षण से कोई लाभ नहीं मिला है। इन जातियों का एक भी सदस्य भारतीय प्रशासनिक सेवा. भारतीय पलिस सेवा, खक विभाग, रेलवे, राष्ट्रीयकत बैंकों, केंद्र सरकार के कार्यालयों इत्यादि में पद नहीं पा सका है। इसलिए, महाराष्ट्र और आंध्रप्रदेश की तरह, ओबीसी आरक्षण का विभाजन केंद्रीय स्तर पर भी होना आवश्यक है। बाराबलतेदार यानि नाई, खाती, वाडी, लहार, सतार, सुनार, कुम्हार, घोबी, रामोशी, गुरव, तांबोळी, कासार, भाट, जिनगर, सनगर, बुरुड, शिंपी, गोवारी, डवरी-गोवारी, कोष्टी, बुनकर, बेलदार, कुमावत, भोई, केवट, कलवार, कहार, तांती, सडी, पटवा, बेलदार, बिंद, धार्मिन, धोबी (मस्लिम), धनिया, कोली, गर्डरिया, तेली, धनगर आदि जैसे अत्यंत पिछडे वर्गी की अलग श्रेणी बननी चाहिए। इसके लिए हम पुरे देश में आंदोलन करेंगे।

आपका यह आंदोलन कब और कहां से शुरू होगा?

यह आंदोलन 27 मार्च को दिल्ली में जंतर-मंतर से शुरू होगा। देश में विम्क्त-घुमंत् लोगों की 666 जातियां (आबादी 22 करोड़) और बाराबलतेदार और अत्यंत पिछड़े वर्ग की 540 जातियां (आबादी 18



When and from where will this agitation begin?

This agitation will be launched on 27 March from Jantar-Mantar in New Delhi. In India, there are 666 Denotified and Nomadic tribes with a total population of 22 crores and 540 EBCs with a total population 18 crores. This adds up to 1206 communities and a total population of 40 crores. We are preparing for the launch of the agitation. A large number of people from all over the country will be arriving in Delhi for it.

These castes already have 27 per cent reservation. Why do you want more?

We have no problems with the 27 per cent reservation for OBCs. We only want 9 per cent reservation each for Denotified and Nomadic tribes, and EBCs within this quota. Through our agitation, we are going to demand that the reservation for the OBCs should be divided into three parts. The Denotified and Nomadic tribes haven't been able to benefit from the reservation, and a handful of upper-class forward castes have also been included in the central OBC list. Only they are enjoying the benefits of reservation. The really deprived sections get nothing.

Till some time back, you had been demanding that the Denotified and Nomadic tribes be included among the STs. Now, you seem to have changed your stance. Why?

Yes, that is true. We will continue to make a demand for that too. But at present, it seems impossible to get it fulfilled. There are 40 Tribal MPs in the Lok Sabha. They won't allow this to happen. Earlier, Indira ji had brought Bills to this effect in 1967, 1972 and 1976. On each of the three occasions, all Tribal MPs had presented their resignations to Indira ji. This is history.

What is the situation in other states?

Some states have given such reservations. For instance, Maharashtra and Andhra Pradesh were the first to grant separate reservations to the Denotified and Nomadic tribes, paving the way for social justice for them. In some other states, similar measures are under consideration, These include Madhya Pradesh and Uttarakhand. Our demand is that the states that have still not divided the OBC quota use the Maharashtra (Vasantrao Naik) model. Apart from in Delhi, we will launch the movement in other states too.

Is your demand for the division of the 27 per cent quota legal? Yes. The Supreme Court has made it clear in its judgment on the Indra Sawhney versus Union of India (1993) case while upholding reservations for OBCs.

True. But what you are demanding is a quota within a quota.

Yes. The central OBC list should be divided into three parts: a) Scheduled DNT (Denotified and Nomadic Tribes), b) Scheduled MBC (Most Backward Castes and Barabalutedar) and c) Scheduled BC (Backward Classes). Subsequently, the section (a) can be renamed ST (a).

करोड़) हैं। अर्थात 40 करोड़ की कुल आबादी वाली 1206 जातियां। आन्दोलन की तैयारी जारी है। इसमें भाग लेने के लिए बहुत बड़ी संख्या में देश भर से लोग दिल्ली के लिए कुच करेंगे।

इन सब जातियों को 27 प्रतिशत आरक्षण मिला हुआ है। फिर आप और आरक्षण क्यों माँग रहे हैं?

हमें ओबीसी का 27 प्रतिशत आरक्षण नहीं चाहिए, हमें तो इसमें से 9-9 प्रतिशत का हिस्सा चाहिए। हम इस आंदोलन के जिए यह माँग करनेवाले हैं कि अन्य पिछड़े वर्ग को प्राप्त आरक्षण को तीन हिस्सों में विभाजित किया जाना चाहिए क्योंकि 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ इन विमुक्त-घुमंतू लोगों को नहीं मिल रहा है। वह इसलिए क्योंकि अन्य पिछडे वर्गों की केद्रीय सूची में कुछ उच्च वर्गीय, प्रगत जातियां सम्मिलत हैं और ये जातियां आरक्षण का लाभ उठा रही हैं। वाँचतों को कुछ भी नहीं मिल रहा है।

लम्बे समय से आप मांग कर रहे थे कि विमुक्त-घुमंतू जातियों को अनुसूचित जनजातियों में शामिल किया जाना चाहिए। क्या आपने वह मांग छोड़ दी है? नहीं। वह माँग हम करते रहेंगे, किन्तु अभी उसका पूरा होना संभव नहीं दिखता। लोकसभा में 40 आदिवासी सांसद हैं, जो यह माँग पूरी नहीं होने देंगे। इसके पहले, इंदिरा जी ने 1967, 1972 और 1976 में इस आशय के विधेयक संसद में पेश किये थे। उस समय आदिवासी समुदाय के सभी सांसदों ने अपना इस्तीफ इंदिराजी को साँग दिए थे। यह इतिहास है।

अन्य राज्य में आरक्षण की स्थिति क्या है?

कुछ राज्यों ने इस तरह का आरक्षण दिया है। उदाहरण के तौर पर महाराष्ट्र और आंध्रप्रदेश ने पहले ही विमुक्त-घुमंतू जातियों को अलग से आरक्षण देकर उन्हें सामाजिक न्याय दिया है। अन्य कुछ राज्यों में इसी तरह के प्रस्ताव विचाराधीन हैं जैसे मध्यप्रदेश, उत्तराखंड आदि में। हमारी माँग है कि जिन राज्यों ने अब तक ओबीसी आरक्षण का विभाजन नहीं किया है, वे सब महाराष्ट्र पैटर्न (वसंतराव नाईक) को अमल में लायें। हम दिल्ली के साथ-साथ अन्य राज्यों में भी यह आंदोलन शुरु करेंगे।

क्या 27 प्रतिशत आरक्षण के विभाजन की आपकी माँग वैधानिक है?

हाँ। सर्वोच्च न्यायालय ने इंद्रा साहनी बनाम भारत सरकार (1993) मामले में अन्य पिछडे वर्गी को आरक्षण को वैध ठहराते हुए इसे न्यायोचित बताया था।

यह सही है परन्तु आप तो कोटे के अन्दर कोटे की बात कर रहे हैं।

हाँ। केंद्रीय ओबीसी सूची को तीन भागों में विभाजित किया जाना चाहिए। अ) अनुसूचित डीएनटी (विमुक्त-घुमंतू जनजातियां) ब) अनुसूचित एमबीसी (अति पिछड़े हुए बाराबलुतेदार) व स) अनुसूचित बीसी (पिछड़ी हुई जातियां)। आगे चलकर इस प्रवर्ग को एसटी (अ) कहा जा सकता है।

In some states, some Denotified and Nomadic tribes are included among SCs and in some among STs. How would this problem be resolved?

The castes that are included among SCs and STs would continue getting reservations under those categories. Here, we are not talking about them. We are talking about dividing the central OBC list. That is our demand. The National OBC Commission had also proposed this.

What is the basis of your demand?

During the deliberations in the Mandal Commission, one of the members, L.R. Naik, had also opposed lumping together OBCs for the 27 per cent reservation and had proposed instead its division into two categories. But other members did not agree. Naik's dissenting note forms part of the historic report of the Mandal Commission. If the government wants to provide justice to this deprived and oppressed section, it can bank on the dissenting note of Naik, the Supreme Court judgment in the Indra Sawhney case and recent recommendations of Justice V. Eswaraiah, the chairperson of the National Commission for Backward Classes, L.R. Naik had said that the forward castes among the OBCs would not allow the more backward castes to grow and progress. Therefore, he had argued, the EBCs would have to organize and build their own leadership. Otherwise, he had said, the EBCs wouldn't be able to benefit from the reservations granted to OBCs in central government jobs and in central universities. Maharashtra divided the OBC quota in 1961 on the basis of the recommendations of Tata Institute of Social Sciences and the Planning Commission. The Denotified and Nomadic tribes in Maharashtra have benefited from this provision,

Can you recapitulate in brief the SC judgment in Indra Sawhney case?

Referring to the 27 per cent reservation for the OBCs, the Supreme Court, in its judgment in the Indra Sawhney versus Union of India case, said that there was no Constitutional bar to categorizing OBC into BCs and EBCs according to Article 16(4). The court ruled that this classification should be based on the degree of backwardness of the communities concerned. In case of such classification, the court observed that an equitable distribution among the various backward classes would be needed to avoid lumping so that one or two of such classes do not gobble up the entire quota, leaving the other backward classes high and dry. If goldsmiths and waddes (traditional stonecutters) were included in one category, the goldsmiths would take away all the reserved posts, leaving none for waddes. If possible, the state governments should sub-categorize the OBCs so that the MBCs among the OBCs get their due.

What has the National OBC Commission recommended recently? It has recommended that the 27 per cent reservation for the OBCs be categorized as: 1) Denotified/Nomadic tribes, 2) Barabalutedar and EBCs, such as Teli, Mali, Koli and Gavari, 3) OBCs. This is what we have been demanding for the last 20 years.

कुछ राज्यों में विमुक्त-धुमंतु समाज की कुछ जातियां अनुसूचित जातियों में है और कुछ अनुसूचित जनजातियों में। इन जातियों का समावेश कहाँ होगा?

जो जातियां एससी में हैं या एसदी में हैं, उन्हें जो आरक्षण मिल रहा है, वह मिलता रहेगा। यहाँ सवाल उनका नहीं है। केंद्र की सची में जो ओबीसी हैं. उनके विभाजन की हम माँग कर रहें हैं। राष्ट्रीय ओबीसी आयोग ने भी ऐसा ही प्रस्तावित किया है।

आपकी माँग का और क्या आधार है?

मंडल आयोग के एक सदस्य एलआर नाईक ने मंडल आयोग की सब लोगों को एक साथ 27 प्रतिशत आरक्षण देने का बिरोध किया था और उसे दो भागों में बांटने का आग्रह किया था। किन्तु उस समय अन्य सदस्यों ने उनकी बात नहीं मानी। मंछन आयोग के ऐतिहासिक प्रतिवेदन के साथ एलआर नाईक का असहमति पत्र जोडा गया है। यदि सरकार इस दिमत-वॉचत वर्ग के साथ न्याय करना चाहती है तो नाइंक का असहमति पत्र, इंदिरा साहनी मामले में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय और राष्ट्रीय ओबीसी आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी एस्वराव्या द्वारा हाल में ही की गई सिफारिशें काफी हैं। एलआर नाईक का मानना था कि अन्य पिछड़े वर्गों में से प्रगत जातियां पिछड़ी हुई जातियों को आगे आने नहीं देगीं और इसलिए भविष्य में अत्यंत पिछड़ी हुई जातियां संगठित होकर अपने नेतत्व का खद ही निर्माण करेंगी। यदि ऐसा नहीं हुआ तो अन्य पिछड़े हुए वर्गों में से अत्यंत पिछड़ा वर्ग और दबी हुई पिछडी जातियों के लोग केंद्रीय आरक्षण का लाभ नहीं उठा सकेंगे। महाराष्ट्र ने टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज व योजना आयोग की सिफारिश के अनुसार 1961 में अन्य पिछड़े वर्गों को विभाजन करके आरक्षण दिया है। महाराष्ट्र में विमृक्त-घुमंतु जातियों ने इसका लाभ उठाया है और आज भी उठा रहें है।

इंद्र साहनी मामला संक्षेप में बताएं

मंडल आयोग की सिफारिश के अनुसार 27 प्रतिशत आरक्षण देने के बारे में सर्वोच्च न्यायालय ने इंद्रा साहनी बनाम भारत सरकार मामले में निर्णय दिया है कि संविधान की धारा 16(4) के अंतर्गत पिछड़े हुए वर्गों का पिछड़े वर्ग और अधिक पिछड़े वर्ग में वर्गीकरण करने में कोई संवैधानिक बाधा नहीं है। ऐसा वर्गीकरण (उस वर्गका) सामाजिक पिछडापन कितना है, उस पर निर्भर होना चाहिए। पिछडे वर्गों के बीच समान विभाजन होना आवश्यक हैं. जिसे एकत्रीकरण न हो और एक या दो वर्ग आरक्षण का सब लाभ खद न ले लें। सनार और वज्जर (जिनका पारंपारिक व्यवसाय पत्थर फोडना है) यदि इन दोनों को एक ही वर्ग में समाविष्ट किया गया तो सुनार ही सब सुविधाएँ ऐंठ लेंगे और बड़ार के लिए कछ भी नहीं बचेगा। यदि ममकिन हो तो राज्य सरकारें इन अन्य पिछड़े वर्गों का उपवर्गीकरण करें, जिससे पिछडे वर्गों में अधिक पिछडे वर्गों को उनको देय प्राप्त हो सके।

राष्ट्रीय पिछडा वर्ग आयोग ने पिछले दिनों क्यी सिफारिश

राष्ट्रीय पिछडा वर्ग आयोग ने सिफारिश की हैं कि अन्य पिछडे वर्ग के 27 प्रतिशत आरक्षण को निम्नानुसार विभाजन करें: 1) विमुक्त-घुमंत् 2) बाराबल्तेदार और आत्यंतिक पिछडे वर्ग जैसे तेली, माळी, कोळी, गवारी आदि व 3) अन्य पिछडे वर्ग। पिछले 20 बरस से हमारी यहीं माँग है।